



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 27, 1985/श्रावण 5, 1907

No. 30]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 27, 1985/SRAVANA 5, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली 11 जुलाई 1985

सं. का. नि. 690—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (उपनियम 1955 (1955 का 68) को धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 का और सम्शोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं: अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (अनुसूची संशोधन) नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र से प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस नियम, 1955 के नियम 43 में—

(1) उप नियम (ग) में—

(क) खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्—

(iii) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सम्पन्न मामलों में तीन मास से कम की सूचना को इस बात पर स्वीकार की जा सकेगी कि सम्पन्न सेवा तीन मास की सूचना को अवधि की समाप्ति

के पूर्व अपने पेशत के एक भाग के सुरक्षाकरण के लिए आवेदन नहीं करेगा।”;

(ख) खंड (vii) और (viii) का शेष किया जाएगा;

(ग) खंड (ix) में “खंड (vii)” शब्द कोष्ठक और अंकों के स्थान पर “उपनियम (2) के खंड (1)” शब्द, कोष्ठक अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

(2) उप नियम (ग) के पञ्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“(2) (1) बल के किर्मी ऐसे सदस्य हों, जो नियम 43(ग)(ii) या नियम 43(न)(1) के अधीन भर्तना से या उनके बिना मेदानियत हो रहा है, असाधारित, मेदानियत की तारीख को अर्द्धक सेवा, छह मास के अधीन रहने हुए पाँच वर्ष में अनधिक अधिक तक बढ़ा दी जाएगी कि उसके द्वारा की गई क्रम अर्द्धक सेवा किर्मी भी दशा में तीस वर्ष में अधिक नहीं होंगी और उसे अधिवर्षिता की तारीख में अभी नहीं ले जाते।

(ii) खंड (i) के अधीन पाँच वर्षों का पाम बल के उन सदस्यों के मामले में अनुश्रेय नहीं होगा जिनमें नियम 43 (ग) (i) के

(1779)

3. Joint Director, Central Water & Power Research Station, Pune—Member
4. Senior Research Officer, Central Water & Power Research Station, Pune—Member.

[No. 3/85, F.No. 16(5)/83-Estt. II]

Y. K. SADHU, Under Secy.

सूचना और प्रसारण अंजालम्

नई दिल्ली, 28 जून, 1985

मा. का. ति. 703.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह "ब" पद) शर्ती नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम अंगाने हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ब" पद) शर्ती (संशोधन) नियम, 1985 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. आकाशवाणी (समूह "ब" पद) शर्ती नियम, 1962 की अनुसूची में ज्येष्ठ अन्वेषक के पद और उसमें संबंधित प्रशिक्षणों से संबंधित क्रम सं. 28 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

1	2	3	4	5	6	7
"28.	1. ज्येष्ठ अन्वेषक—4* 2. अनुसंधान सहायक—33*	37 (1985)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ब" अराजपक्षित जनसमुदायिकीय	600-25-750- ब.रो.-30- 900 रु०	जयत	30 वर्ष से अधिक नहीं केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए 5 वर्ष तक सिविल की जा सकती है। टिप्पण: आयु-सीमा प्रवर्धित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनमें भ्रष्ट जो अद्यतन और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) प्राप्ति प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।
		*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।				

8

9

10

आवश्यक:

नहीं

केवल सीधे शर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/अर्थशास्त्र/समाज विज्ञान/मनोविज्ञान या मानव-विज्ञान में मास्टर की डिग्री या समतुल्य।
- (ii) सामाजिक सांख्यिकी, जिसके अन्तर्गत जनसंख्या-संघर्ष या समाज सेवा अनुसंधान या जन संचार अनुसंधान भी है, के संग्रहण और विश्लेषण का दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण: 1. अर्हताएं अभ्यर्थी सूर्यहित अभ्यर्थियों की वृत्ति में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार सिद्ध की जा सकती हैं।

टिप्पण : 2. अनुभव संबंधी प्रवृत्ता (अर्हताएं) मंच लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब विधिल की जा सकती है (है) जब चयन के किसी प्रक्रम पर मंच लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उसके लिए भारतीय रिजर्वों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।

भाषणीय :

हिन्दी या किसी अन्य भारतीय भाषा का पर्याप्त ज्ञान।

- (i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके त हों सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।
 (ii) 25 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/स्थानांतरण द्वारा, जिसके त हों सकने पर सीधी भर्ती द्वारा, और
 (iii) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पण : 550-900 रु. के वेतनमान में ऐसे अनुसंधान सहायकों, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में पदों पर नियमित आधार पर नियुक्त किया गया था दूरदर्शन द्वारा कार्य के साथ-साथ प्रहण कर लिया गया था के बारे में यह समझा जाएगा कि उन्हें इन नियमों के अधीन आरंभिक गठन पर नियुक्त किया गया है।

प्रोन्नति :

आकाशवाणी/दूरदर्शन के ऐसे अन्वेषण और सांख्यिकीय सहायक जिन्होंने उन पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् अपनी-अपनी श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/स्थानांतरण :

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी :

- (क) (i) जो सद्यः पद धारण किए हुए हैं, या
 (ii) जिन्होंने 425-700/800 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष सेवा की है, और
 (ख) जिनके पान स्तंभ 9 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। (फोडर प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधे वाहन में हैं। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार प्रतिनियुक्ति किए गए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, माधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित में मिलकर बनेगी

1. उप महानिदेशक (कार्य) — अध्यक्ष
2. उप महानिदेशक (प्रशासन) — सदस्य
3. निदेशक, ओता अनुसंधान — सदस्य

टिप्पण : पृष्ठ से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी किन्तु यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक मंच लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

सीधी भर्ती और किसी अधिकारी का प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण पर नियुक्ति के लिए चयन करते समय मंच लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, 1962 (अनाधारण) भाग-3, खंड-3, उपखंड (1) में सा.का.नि. सं. 347, तारीख 17-3-1962 द्वारा प्रकाशित किए गए और उसके पश्चात् उनका निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :—

1. अधिसूचना सं. 5(9)/58-बी(ए) तारीख 4-5-62 सा.का.नि. सं. 721 तारीख 26-5-62
2. अधिसूचना सं. 11(6)/72-बी(ए) तारीख 18-10-1962 सा.का.नि. सं. 1412 तारीख 27-10-1962
3. अधिसूचना सं. 5(89)/68-बी(ए) तारीख 20-11-1962 सा.का.नि. सं. 1627 तारीख 1-12-62
4. अधिसूचना सं. 8/7/62-बी(ए), तारीख 8-1-1963 सा.का.नि. सं. 123 तारीख 8-1-1963
5. अधिसूचना सं. 13/55/61(सी)(ए), तारीख 8-7-1963 सा.का.नि. सं. 1223 तारीख 20-7-1963
6. अधिसूचना सं. 9/43/62-बी(ए) तारीख 3-8-1963 सा.का.नि. 1319 तारीख 10-8-1963

7. अधिसूचना सं. 11/2/61-बी (ए) तारीख 31-8-1964
सा.का.नि. सं. 1310 तारीख 12-9-64
8. अधिसूचना सं. 11/3/63-बी (ए) तारीख 31-10-1964
सा.का.नि. सं. 1384 तारीख 31-10-1964
9. अधिसूचना सं. 15/6/64-बी (ए) तारीख 28-4-1965
सा.का.नि. सं. 705 तारीख 8-5-65
10. अधिसूचना सं. 5/45/65-बी (ए), तारीख नवम्बर, 1965
11. अधिसूचना सं. 11/4/65-बी (ए), तारीख 31-12-1965
सा.का.नि. सं. 58, तारीख 8-1-68
12. अधिसूचना सं. 11/3/85-बी (ए) तारीख 1-11-1965
सा.का.नि. सं. 1782 तारीख 26-11-66
13. अधिसूचना सं. 11/4/65-बी (ए) तारीख 9-12-66
सा.का.नि. सं. 1973 तारीख 24-12-66
14. अधिसूचना सं. 7/1/67-बी (ए) तारीख दिसम्बर, 1967
15. अधिसूचना सं. 20/6/67-बी (ए) तारीख 23-3-1968
सा.का.नि. सं. 541 तारीख 23-3-1968
16. अधिसूचना सं. 7/1/67-बी (ए) तारीख 30-4-1968
सा.का.नि. सं. 810 तारीख 30-4-68
17. अधिसूचना सं. 20/6/67-बी (ए) तारीख 17-7-1969
सा.का.नि. सं. 1761 और 1821
18. अधिसूचना सं. 7/12/68-बी (ए) तारीख 19-7-69 (सा.का.नि. सं. 1682)
19. अधिसूचना सं. 17/9/68-बी (ए) तारीख 6-1-1970
सा.का.नि. सं. 173, तारीख 31-1-70
20. अधिसूचना सं. 17/7/69-बी (ए) तारीख 21-1-1970
सा.का.नि. सं. 204 तारीख 7-2-70
21. अधिसूचना सं. 17/8/69-बी (ए) तारीख 2-4-1970
सा.का.नि. सं. 723 तारीख 2-5-1970
22. अधिसूचना सं. 7/2/68-बी (ए) तारीख 24-4-1970
सा.का.नि. सं. 1161 तारीख 15-8-70
23. अधिसूचना सं. 1/4/70-बी (ए) तारीख 25-8-1970
24. अधिसूचना सं. 17/9/71-बी (ए) तारीख 21-2-1972
सा.का.नि. सं. 367 तारीख 2-3-72
25. अधिसूचना सं. 1/9/71-बी () तारीख 6-6-1972
सा.का.नि. सं. 819 तारीख 8-7-72
26. अधिसूचना सं. 1/7/71-बी (ए) तारीख 13-29-73
सा.का.नि. सं. 228 तारीख 3-3-1973
27. अधिसूचना सं. 1/9/72-बी (ए) तारीख 10-4-1973
सा.का.नि. सं. 478 तारीख 5-5-1973
28. अधिसूचना सं. 1/15/73-बी (ए) तारीख 19-6-1974
सा.का.नि. सं. 258 तारीख 9-3-74
29. अधिसूचना सं. 1/12/73-बी (ए) तारीख 4-4-1, 755
30. अधिसूचना सं. 1/12/74-बी () तारीख 24-6-1975
सा.का.नि. सं. 894 तारीख 19-7-75
31. अधिसूचना सं. 17/9/69-बी (ए) तारीख 11-6-1975
सा.का.नि. सं. 801 तारीख 15-4-1976
32. अधिसूचना सं. 1/15/75-बी (ए) तारीख 15-4-1976
सा.का.नि. सं. 677 तारीख 15-5-76
33. अधिसूचना सं. 1/19/76-बी (ए) तारीख 4-11-1976
सा.का.नि. सं. 1671 तारीख 27-11-76

34. अधिसूचना सं. 12019/9/78-बी (ए) तारीख 26-12-1978
सा.का.नि.सं. 95 तारीख 20-1-1979
35. अधिसूचना सं. 12018/4/77-बी (ए) तारीख 4-9-1980
सा.का.नि.सं. 1118 तारीख 25-10-80
36. अधिसूचना सं. 12019/1/78-बी (ए) तारीख 16-12-80
सा.का.नि.सं. 44 तारीख 10-1-1981
37. अधिसूचना सं. 12019/1/80-बी (ए) तारीख 20-10-1981 (पहला संशोधन)
सा.का.नि.सं. 1002 तारीख 7-11-1981
38. अधिसूचना सं. 12018/5/77-बी (ए) तारीख 15-1-1981
सा.का.नि.सं. 137 तारीख 6-2-82
39. अधिसूचना सं. 45011/83-82-बी (ए) तारीख 23-10-84
सा.का.नि.सं. 740 (अ)

[सं. 12019/6/83-बी (ए)]
पी. एस. टोकस, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 28th June, 1985

G. S. R. 703:—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1962*, namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'B' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1962, for serial number 26 relating to the post of Senior Investigator, and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6
26	1. Senior Investigator-4 2. Research Assistant-33	*37 (1985) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 550-25-750-EB-30-900	Selection
	7		7(a)		8
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).			No	Essential : (i) Master's degree in Statistics/Economics/Sociology/ Psychology or Anthropology of a recognised University or equivalent. (ii) 2 years' experience of collection and analysis of social statistics including public opinion polls or social service research or mass communication research. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the scheduled castes and the scheduled tribes, if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable; Adequate knowledge of Hindi or any other Indian language.	

9	10	11
No	For direct recruits only 2 years	(i) 50% by promotion, failing which by direct recruitment; (ii) 25% by transfer on deputation/transfer, failing which by direct recruitment, and (iii) 25% by direct recruitment. Note : Research Assistants in the scale of Rs. 550—900 who had been appointed to the posts on regular basis in the Indian Space Research Organisation and were taken over by the Doordarshan along with the world shall be deemed to have been appointed at the initial constitution under these rules.

12

Promotion :

Investigators and Statistical Assistants in All India Radio/Doordarshan with 5 years' service in the respective grade rendered after appointment thereto on a regular basis.

Transfer on deputation/transfer :

Officers under the Central/State Governments :

(a) (i) holding analogous posts; or

(ii) with 5 years' service in posts in the scale of Rs. 425-700/800 or equivalent; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 9.

(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed 3 years.)

13

14

Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of :

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. Deputy Director General (P) | —Chairman |
| 2. Deputy Director General (A) | —Member |
| 3. Director, Audience Research | —Member |

Union Public Service Commission shall be consulted while making direct recruitment and selecting an officer for appointment on deputation/transfer."

Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Union Public Service Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

*Note : Principal rules published vide G.S.R. No. 347, dated 17-3-1962 Gazette of India 1962 (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-Section (i) subsequently amended by :

1. Notification No. 5(9)/58-B(A), dated 4-5-62
GSR No. 721, dated 26-5-62
2. „ No. 11(6)/62-B(A), dated 18-10-62
GSR No. 1412, dated 27-10-62
3. „ No. 5(89)/58-B(A), dated 20-11-62
GSR No. 1627, dated 1-12-62
4. „ No. 9/7/62-B(A), dated 8-1-63
GSR No. 123, dated 8-1-63
5. „ No. 13/55/61-B(A), dated 8-7-63
GSR No. 1225, dated 20-7-63
6. „ No. 5/43/62-B(A), dated 5-8-63
GSR No. 1319, dated 10-8-63
7. „ No. 11/2/61-B(A), dated 31-8-64
GSR No. 1310, dated 12-9-64
8. „ No. 11/3/63-B(A), dated 31-10-64
GSR No. 1564, dated 15-10-64
9. „ No. 11/6/64-B(A), dated 28-4-65
GSR No. 705, dated 8-5-65

10. Notification No. 5/45/65-B(A), dated Nov. 65
11. „ No. 11/4/65-B(A), dated 31-12-65
GSR No. 58, dated 8-1-66
12. „ No. 11/8/65-B(A), dated 1-11-65
GSR No. 1 1782, dated 26-11-66
13. „ No. 11(4)/65-B(A), dated 24-12 65
GSR No. 1973, dated 9-12-66
14. „ No. 7/1/67B(A), dated Dec., 67
15. „ No. 20/6/67-B(A), dated 23-3-68
GSR No. 541, dated 23-3-68
16. „ No. 7/1/67-B(A), dated 30-4-68
GSR No. 910, dated 30-4-68
17. „ No. 20/6/67-B(A), dated 17-7-69
GSR No. 1761 and 1821
18. „ No. 7/12/68-B(A), dated 19-7-69
(GSR No. 1682)
19. „ No. 17/9/68-B(A), dated 6-1-70
GSR Nos. 173, dated 31-1-70
20. „ No. 17/7/69-B(A), dated 21-1-70
GSR No. 204, dated 7-2-70
21. „ No. 17/8/69-B(A), dated 2-4-70
GSR No. 723, dated 2-5-70
22. „ No. 7/2/68-B(A), dated 24-4-70
GSR No. 1161, dated 15-8-70
23. „ No. 1/4/70-B(A), dated 25-8-70
24. „ No. 17/9/69-B(A), dated 21-2-72
GSR No. 367, dated 2-3-72
25. „ No. 1/9/71-B(A), dated 6-6-72
GSR No. 819, dated 8-7-72
26. „ No. 1/7/71-B(A), dated 13-2-73
GSR No. 228, dated 3-3-73
27. „ No. 1/9/72-B(A), dated 10-4-73
GSR No. 476, dated 5-5-73
28. „ No. 1/15/73-B(A), dated 16-2-74
GSR No. 256, dated 9-3-74
29. „ No. 1/12/73-B(A), dated 4-4-75
30. „ No. 1/12/75-B(A), dated 24-6-75
GSR No. 894, dated 19-7-75
31. „ No. 17/9/69-B(A), dated 11-6-75
GSR No. 801, dated 28-6-75
32. „ No. 1/15/75-B(A), dated 15-4-76
GSR No. 677, dated 15-5-76
33. „ No. 1/12/73-B(A), dated 4-11-76
GSR No. 1671, dated 27-11-76
34. „ No. 12019/9/78-B(A), dated 26-12-78
GSR No. 95, dated 20-1-79
35. „ No. 12018/4/77-B(A), dated 4-9-80
GSR No. 1118, dated 25-10-80
36. „ No. 12019/1/78-B(A), dated 16-12-80
GSR No. 44, dated 10-1-81
37. „ No. 12019/1/80-B(A), dated 20-10 81 (1st amendment)
GSR No. 1002, dated 7-11-81
38. „ No. 12018/5/77-B(A), dated 15-1-82
GSR No. 137, dated 6-2-82
39. „ No. 45011/83/82-B(A), dated 23-10-84
GSR No. 740 (EJ)
40. „ No. 12019/6/83-B(A), dated